



मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्  
(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)  
59 "सी" विंग, द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्रमांक / 758 /NR-4/4/11

भोपाल, दिनांक 23/01/12

प्रति,


मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना - स.प्र.०  
जिला पंचायत :-समस्त

विषय :- मोबाईल बैंकिंग के माध्यम से अकुशल श्रम भुगतान की जानकारी विषय।  
:::00:::

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मनरेगा अन्तर्गत प्रतिमाह की स्थिति में मोबाईल बैंकिंग के माध्यम से किए गए अकुशल श्रम के भुगतान की जानकारी चाही जाती है किन्तु कतिपय जिलों को छोड़कर शेष जिलों द्वारा प्रतिमाह उक्त जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाती है तथा भिन्न-भिन्न प्रारूपों में उपलब्ध कराई जाती है। जिस कारण उक्त जानकारी के संकलन में परिषद स्तर पर समस्या उत्पन्न होती है।

कृपया, संलग्न निर्धारित प्रपत्र में ही प्रतिमाह की विषयांकित जानकारी आगामी माह की 10 तारीख तक भेजने का कष्ट करें। मोबाईल पोस्ट ऑफिस भी हो तो इसी प्रपत्र में भेजे एवं जानकारी निरंक हो तो भी अवगत करावे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

  
(डॉ० सजीव सक्सेना)  
संयुक्त आयुक्त (वित्त एवं लेखा)  
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद

